ऑन लाईन नं. **RCMS 2024/7**

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 01/2024

1. दीपक कुमार दत्तक पुत्र श्री दयाराम जाति जाट निवासी चक 11 एलएनपी (ख्यालीवाला) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उप तहसीलदार राजस्व, हिन्दुमलकोट, श्री गंगानगर।
2. इन्द्रा धर्म पत्नी रणवीर सिंह जाति जाट निवासी एकल्वय नगर बालाजी मैडिकल के पास वृद्व आश्रम रोड़, श्रीगंगानगर।
3. कृष्णा धर्म पत्नी उमेश कुमार नैण निवासी ब्रहम कॉलोनी गली नम्बर 02 बसन्ती चौंक श्रीगंगानगर।
4. शीतल धर्म पत्नी सुशील कुमार खीचड़ निवासी चक 9 टीकेडब्ल्यू पोस्ट ऑफिस ताखरांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. सरोज कुमारी धर्म पत्नी साहबराम कुकणा जाति जाट निवासी गांव खोथांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार, श्री गंगानगर दिनांक 18–07–14

उपस्थित :

1. श्री भगत सिंह जाखड़, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री महेश दादरवाल, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस

::आदेश:: दिनांक : 16.08.2024

हस्तगत अपील प्रकरण में रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.03.2024 को प्रस्तुत प्रारम्भिक व कानूनी एतराजात का प्रार्थना पत्र जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि :–

1. यह कि अपीलांट दीपक द्वारा वर्तमान अपील श्रीमान .नायब तहसीलदार (भू.अ.) हिन्दुमलकोट के निर्णय दिनांक 22.12.2023 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को विधिवत् सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत को न मानकर विरासतन इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है तथा दोनो पक्षकारों का इन्तकाल के सम्बन्ध में विवाद है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) की शाक्तियों के तहत इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है तथा अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा भू.अभिलेख अधिकारी की हैसीयत से निर्णय पारित किये गये है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील सुनने का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को न होकर भू अभिलेख निदेशक (संभागीय आयुक्त) बीकानेर को है जिसका स्पष्ट उल्लेख भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1)(एफ) में उल्लेख किया गया है जिसके सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दुर्गा शंकर बनाम कैलाशी देवी में प्रतिपादित किया गया है कि "It has been heldat Tehsildar while deciding an attested mutation U/s 135(2) of the Act. passess the order in exercise of power of Land Record Officer and as such against such an order, appel will lie to director (Land Records) and not to the Colector). "

3. यह कि उपरोक्त विधिक स्थिति के अनुसार माननीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण अपील संधारण योग्य नहीं है इसलिए अपील प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आरम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावें।

वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 के अनुसार अपील प्रस्तुत होना स्वीकार है शेष कथन गलत बयानी के कारण अस्वीकार है।
2. यह कि मद संख्या 2 जिस तरह से लिखी है स्वीकार नहीं क्योंकि अपीलार्थी दीपक कुमार के हक में लिखी गई वसीयत कानूनी रूप से सही है मगर अधीनस्थ न्यायलाय उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा पारित निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी दीपक कुमार ने माननीय न्यायालय में पेश की है जो कानून सम्मत है और उप तहसीलदार हिन्दूमलकोट के निर्णय को सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 22.03.2018 से स्पष्ट है। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की कॉपी जो आर.आर.डी. 2018 पेज--350 पर प्रकाशित है जिसकी फोटो प्रति जवाब दरखवास्त के साथ पेश है, जिसके अनुसार तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरकरण की प्रथम अपील धारा 75 डी लैण्ड रिवेन्यू एक्ट के तहत भू--अभिलेख अधिकारी अर्थात कलैक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए इस रूलिंग के आधार पर वर्तमान अपील माननीय न्यायालय में ही पेश की गई है, जो कानून के अनुसार है और श्रीमती शीतल व कृष्णा देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने लायक है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 गलत बयानी के कारण स्वीकार नहीं है क्योंकि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 22.03.2018 के अनुसार इस अपील कोसुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को हासिल है और उत्तरवादनी श्रीमती शीतल व कृष्णा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त होने लायक है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उत्तरवादनी शीतल व कृष्णा देवी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक ऐतराज का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें तथा अपील का निर्णय विधि अनुसार किया जावें।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हिन्दुमलकोट के प्रकरण सं0 12/23 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 द्वारा वसीयत को न मानकर विरासतन इन्तकाल दर्ज किये जाने के

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

आदेश दिये गये है तथा दोनो पक्षकारों का इन्तकाल के सम्बन्ध में विवाद है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) की शक्तियो के तहत इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी की हैसीयत से निर्णय पारित किया गया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को न होकर भू अभिलेख निदेशक (संभागीय आयुक्त) बीकानेर को है जिसका स्पष्ट उल्लेख भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1)(एफ) में उल्लेख किया गया है। अतः मामला 135(2) भू0 राजस्व अधिनियम का मानते हुए अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलार्थी दीपक कुमार के हक में लिखी गई वसीयत कानूनी रूप से सही है मगर अधीनस्थ न्यायलाय उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा पारित निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी दीपक कुमार ने माननीय न्यायालय में पेश की है जो कानून सम्मत है। नायब तहसीलदार द्वारा धारा 135(2) के तहत आदेश पारित नहीं किया है और न ही रेकार्ड में धारा 135(2) का हवाला दिया गया है। धारा 135(1) के तहत आदेश पारित किया गया है इसलिए अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। अतः रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2023 को नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसको दर्ज रजिस्टर कर अधीनस्थ न्यायालय हिन्दुमलकोट द्वारा वसीयत की पुष्टि हेतु क्रमांक 1012–1015 गवाहो को नोटिस एवं रजिस्टर्ड नोटिस क्रमांक 1010–1011 दिनांक 21.09.2023 जारी किये गये है। वसीयत की आम सूचना विज्ञप्ति दैनिक समयाचार पत्र में प्रकाशन हेतु कार्यालय के पत्रांक 1009 दिनांक 21.09.2023 को जारी किया गया है जिसमें रेस्पोडेन्ट शीतल–कृष्णा–इन्द्रा पुत्रिया दयाराम एवं गवाह कृष्णराम उर्फ रणवीर पुत्र गुगन राम द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किये गये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष उपस्थित हो गए हैं और एक पक्ष द्वारा आक्षेप कर देने से अपीलाधीन **इंतकाल विवादित हो गया है।** इस प्रकार अपीलाधीन इंतकाल के विवादित हो जाने के कारण अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार धारा 135(2) के अन्तर्गत इस न्यायालय को नहीं है।

मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आर बी जे (4)1997 पेज 198 में अभिनिर्धारित किया है कि Rajasthan Land Revenue Act 1956 - Section 135[2] In Case of Disputed Mutation- Appeal will lie before the Commissioner.

शासन के परिपत्र सं0 एफ 6 (21) रेवेन्यू/ जीआर /4/ 87/ 29 जीएसआर/60 दिनांक 20–6–87 द्वारा डायरेक्टर लैण्ड रिकार्ड की शक्तियॉ माननीय संभागीय आयुक्त को है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन),
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

2024।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 के संबंध में दया भारती बनाम दया भारती 1989 आरआरडी 266 में पेज सं0 462 पर अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

Mutation Appeal - Order of Tehsildar under S. 135[2] of the act is deciding **contested case** of Mutation. Appeal lie to Director, Land Recotds and not to Collector & R.A.A.

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हिन्दुमलकोट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश आक्षेप के संदर्भ में दोनों पक्षों को सुनकर पारित किया गया है जो धारा 135(2) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की परिधि में होने से हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। अतः हस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने से क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 16.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)